रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102023-249287 CG-DL-E-10102023-249287

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575]

No. 575]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 10, 2023/आश्विन 18, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 10, 2023/ASVINA 18, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 728(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139क की उपधारा (1) के खंड (vii), उपधारा (5) के खंड (ग) और उपधारा (6क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौबीसवां संशोधन) नियम, 2023 है।
 - (2) ये राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 114ख में,-
 - (क) दूसरे परन्तुक में, "परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति, जो कंपनी या फर्म नहीं है" शब्द रखे जाएंगे;
 - (ख) दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा: —

6388 GI/2023 (1)

"परन्तु यह भी कि एक विदेश कंपनी,—

- (i) जिसके पास भारत में कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है; और
- (ii) जिसके पास स्थायी खाता संख्या नहीं है,

और जो आईएफएससी बैंककारी इकाई में सारणी की क्र. सं. 2 या 12 में निर्दिष्ट कोई संव्यवहार करती है, प्ररूप सं. 60 में घोषणा करेगी:";

- (ग) स्पष्टीकरण के खंड (1) को खंड (1क) के रूप में पुन: संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्याकित उक्त खंड से पहले निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थातु: —
- "(1) "आईएफएससी बैंककारी इकाई" से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन परिभाषित, वित्तीय संख्या अभिप्रेत है, जिसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण द्वारा, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) विनियम, 2020 के अधीन अनुज्ञेय क्रियाकलाप करने के लिए अनुज्ञिप्ति या अनुज्ञा दी गई है;";
- मूल नियमों के नियम 114खक के, अंत में निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
 "परन्तु इस नियम के उपबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे, जहां—
 - (क) खंड (क) या खंड (ख) के अनुसार नकद से भिन्न माध्यम से किसी रकम का निक्षेप या आहरण करने वाला या चालू खाता, जो इस नियम के खंड (ग) के अनुसार नकद जमा खाता नहीं है, खोलने वाला व्यक्ति अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी है;
 - (ख) आईएफएससी बैंककारी इकाई के साथ संव्यवहार किया जाता है; और
 - (ग) ऐसे अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी है, की भारत में कोई कर से प्रभार्य आय नहीं है। स्पष्टीकरण.— इस नियम के प्रयोजनों के लिए "आईएफएससी बैंककारी इकाई" का वहीं अर्थ होगा, जो उसका नियम 114ख के स्पष्टीकरण के खंड (1) में है।";
- 4. मूल नियमों के नियम 114खख में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— "परन्तु इस नियम के उपबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे, जहां—
 - (क) स्तंभ (2) की क्र. सं. 1 या क्र. सं. 2 के अनुसार नकद से भिन्न माध्यम से किसी रकम का निक्षेप या आहरण करने वाला या चालू खाता, जो इस नियम के स्तंभ (2) की क्र. सं. 3 के अनुसार नकद जमा खाता नहीं है, खोलने वाला व्यक्ति अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी है;
 - (ख) आईएफएससी बैंककारी इकाई के साथ संव्यवहार किया जाता है; और
 - (ग) ऐसे अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी है, की भारत में कोई कर से प्रभार्य आय नहीं है। स्पष्टीकरण.— इस नियम के प्रयोजनों के लिए "आईएफएससी बैंककारी इकाई" का वहीं अर्थ होगा, जो उसका नियम 114ख के स्पष्टीकरण के खंड (1) में है।";

5. मूल नियमों के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप 60 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"प्ररूप सं. 60

[नियम 114ख का दूसरा परंतुक देखिए]

किसी व्यक्ति (जो कंपनी या फर्म नहीं है) द्वारा या नियम 114ख के तीसरे परंतुक में समाविष्ट विदेशी कंपनी द्वारा फाइल किए जाने वाला घोषणा का प्ररूप, जिसके पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और जो नियम 114ख में विनिर्दिष्ट कोई संव्यवहार करता है

., .		6																									
1	प्रथम न	नाम																	2		त्रणा तारी		वाल	ने की	जन्म	/निग	मन
	मध्य न	пम			1															D	D	M	M	Υ	Υ	Υ	Υ
	उपनाम	T																									
																										_	
3	पिता व	का नाम			प्रथ	ाम न	नाम																				
	(व्यष्टि	कों के लि	ए)																								
	मध्य नाम																										
	उपनाम	Ŧ																									
4	फ़्लैट/व	_{फ्मरा} नं.								5	5 7	तल र	सं.														
6	परिसर	का नाम	-							7	7	ब्लॉ	क	का ग	नाम,	/सं.											
8	सड़क/र	गली/लेन								ç)	क्षेत्र	/पर्1	रेक्षे	त्र												
10	नगर/श	ाहर								1	1	जिल	ग						1	2 ^र	ाज्य						
13	पिन कूल	ट			14	टे	.लीप	ोन र	पं . (प	रसटी	डी	कूट	सि	हेत)				15	मं	ोबाइ	ल नं	बर					
16		ा के देश हद्वारास							п (र	पदि	तीर	सरे <u> </u>															
17	संव्यवः	हार की र	कम									•					सं	युक्त	नाम	से	संव्य	वहार	हों	ने की	दश	Т	
	(रु0)															19				_		म्मि	लेत	होने	वार्	ने	
													-		4		ਕ	क्तिर	ों की	ो संख	या						
18	संव्यवः	हार की त	ारीख		D		D	1	/	M		Υ		Υ													
20	संव्यवः	हार का प्र	कार:	• ন	कद	, •	चैव	, •	काः	€ , •	ड्र	ाफ्ट/	बैंव	र्स न	त्रैक,	•	ऑन	लाइ	न अं	तरण,	• 3	अन्य					
21		प विशि ाधार संख		_			करण	ा द्व	ारा																		
	यदि स्थ	थायी लेख	ा संख	व्या के	लिए	ए अ	विद	न कि	या है	१ औ	₹	D		С)	N	/	M		Υ		Υ		Υ		Υ	
22	-	भी तक न त्रीकृति सं	-	ना है	तो ३	आवे	दन व	नि त	ारीख	। औ	र																
		थायी लेख																					_		-		
23	(जिसमे जाएगी	ां आय-क ⊺।	र आ	धेनिय	म,	19	61 व	की ध	ग्रारा	64	के	अधी	न '	पति	/पर्स्न	ो य	ा अ	त्रयस्य	ह सं	तान	की ः	आय	भी	सम्मि	लित	है) १	भरी
	क	कृषि आय	ा (रु.))																							
	ख	कृषि से ३	<u>।</u> गतिरि	क्त अ	य (रु.)																					
	ग	i कर लि		भार्य	आय	(टि	दिशी	कंप	नी वे	<u>n</u>	•				•		•			•			,				

(घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

	ii कर से अप्रभार्य आय (विदेशी कंपनी के लिए)	Т		
24	स्तंभ 1 में वर्णित पहचान के समर्थन में प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे (दूसरी ओर अनुदेश देखें)	दस्तावेज़ कूट	दस्तावेज़ पहचान संख्या	दस्तावेज़ जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता
25	स्तंभ 4 से 13 में वर्णित पते के समर्थन में प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे (दूसरी ओर अनुदेश देखें)	दस्तावेज़ कूट	दस्तावेज़ पहचान संख्या	दस्तावेज़ जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता

सत्यापन

मैं,	का पुत्र/पुत्री/पत्नी** सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं वि
	ार्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस आवेदन और इसके साथ संलग्न दस्तावेजों, यदि कोई हो, में दी गई जानकारी कैंट पूर्व के कैंट करों कर्वाच कर कि कुल पर विशेष
सहाउ	गैर पूर्ण है और उसमें दर्शाए गए विवरण सही हैं।
2. मैं	यह भी घोषणा करता हूं कि मेरे/आवेदक के पास स्थायी खाता संख्या नहीं है, और
(i) मेरी/हमारी/आवेदक की अनुमानित कुल आय (जिसके अंतर्गत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अनुसार
	पति/पत्नी, अवयस्क बालक, आदि की आय भी है) की गणना उस वित्तीय वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधो
	के अनुसार की गई है जिसमें उपरोक्त संव्यवहार कर योग्य अधिकतम रकम से कम होगा, या
(ii) आवेदक एक विदेशी कंपनी है जो नियम 114ख के तीसरे परन्तुक के अधीन आती है और उसकी भारत में कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है।
	यह भी घोषणा करता हूं कि मैं यह आवेदन के लिए (पदनाम) की हैसियत से कर और मैं यह आवेदन करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं। [यदि लागू हो]
आज,	20 को सत्यापित किया गया।

टिप्पण:

स्थान __

- 1. घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को समाधान कर लेना चाहिए कि इस प्ररूप में दी गई जानकारी सही है, सत्य है और सभी पहलुओं में पूर्ण। यदि घोषणा में मिथ्या कथन करने वाला कोई व्यक्ति आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अधीन अभियोजन का दायी होगा और दोषसिद्ध होने पर,--
 - (i) यदि अपवंचन किया गया कर पच्चीस लाख रुपए से अधिक है, कठोर कारावास से जो छह मास से कम नहीं होगा किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना से;
 - (ii) किसी अन्य मामले में कठोर कारावास, जो तीन माह से कम नहीं होगा किंतु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्मानें से, दंडनीय होगा ।
- 2. घोषणा स्वीकार करने वाला व्यक्ति वहां घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा जहां,-
 - (i) मद 23ख में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की रकम उस अधिकतम रकम से अधिक है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है, जब तक कि पैन के लिए आवेदन नहीं किया जाता है और स्तंभ 22 सम्यक रूप से विधिवत नहीं भरा जाता है;
 - (ii) किसी विदेशी कंपनी की दशा में मद 23ग(i) में दर्शाई गई आय, कर से प्रभार्य है।

3. दस्तावेज़ जो पहचान और पते के समर्थन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं (यदि पैन के लिए आवेदन किया गया है और मद 21 भरा गया है तो आवश्यक नहीं है):-

क्र.सं.	दस्तावेज़ की प्रकृति	दस्तावेज़	पहचान का	पते का
		कूट	प्रमाण	प्रमाण
क. व्यन्	क्तेयों और हिन्दु कुटुंब के लिए			
1.	आधार कार्ड	01	हां	हां
2.	बैंक/डाकघर की पासबुक, जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	02	हां	हां
3.	निर्वाचक पहचान पत्र	03	हां	हां हां
4.	राशन/सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड जिसमें व्यक्ति का फोटो हो ।	04	हां	हां
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	05	हां	हां
6.	पासपोर्ट	06	हां	हां
7.	पेंशनर फोटो कार्ड	07	हां	हां
8.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) जॉब कार्ड	08	हां	हां
9.	जाति या अधिवासी प्रमाणपत्र जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	09	हां	हां
	प्ररूप 49क में उल्लिखित उपाबंध क के अनुसार संसद सदस्य या	10	हां	हां
10.	विधायक या नगर निगम के पार्षद या किसी राजपत्रित अधिकारी			
	द्वारा हस्ताक्षरित पहचान/पते का प्रमाणपत्र			
11.	प्ररूप 49क में उल्लिखित उपाबंध क के अनुसार नियोजक से प्रमाणपत्र	11	हां	हां
12.	किसान पासबुक जिसमें फोटो हो	12	हां	नहीं
13.	हथियार लाइसेंस	13	हां	नहीं
4.4	केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना/पूर्व सैनिक	14	हां	नहीं
14.	अभिदाय स्वास्थ्य योजना कार्ड			
15.	सरकार/पब्लिक सैक्टर उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	15	हां	नहीं
16.	बिजली बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	16	नहीं	हां
17.	लैंडलाइन टेलीफोन बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	17	नहीं	हां
18.	पानी का बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	18	नहीं	हां हां
19.	गैस ग्राहक कार्ड/बुक या गैस पाईप का बिल बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	19	नहीं	हां
20.	बैंक खाता विवरण (तीन माह से पुराना नहीं)	20	नहीं	हां
21.	क्रेडिट कार्ड विवरण (तीन माह से पुराना नहीं)	21	नहीं	हां
22.	डिपॉजिटरी खाता विवरण (तीन माह से पुराना नहीं)	22	नहीं	हां
23.	संपत्ति रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़	23	नहीं	हां
24.	सरकारी आवास का आबंटन पत्र	24	नहीं	हां
25.	पति-पत्नी का पासपोर्ट जिसमें व्यक्ति का नाम हो	25	नहीं	हां
26.	संपत्ति कर संदाय रसीद (एक साल से पुराना नहीं)	26	नहीं	हां हां
	क्तेयों के संगम (न्यास)			<u>~.</u>
	न्यास विलेख की प्रति या चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन के	27	हां	हां
	प्रमाणपत्र	_ 		
 ग. व्यक्ति	केयों के संगम (न्यास के अतिरिक्त) या व्यष्टिकों के निकाय या			
	य प्राधिकारी या कृत्रिम विधिक व्यक्ति			

	समझौते की प्रति या चैरिटी आयुक्त या सहकारी समिति के	28	हां	हां
	रजिस्ट्रार या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण			
	के प्रमाणपत्र की प्रति या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी			
	विभाग से व्यक्ति का स्थापना पहचान और पते का कोई अन्य			
	दस्तावेज			
घ. एक	विदेशी कंपनी के लिए			
1.	उस देश में, जहां आवेदक स्थित है, जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण या	29	हां	हां
	निगमन प्रमाणपत्र की प्रति, जो आईएफएससी बैंककारी इकाई के			
	प्राधिकृत पदधारियों द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित			
2.	उस देश में, जहां आवेदक स्थित है, जारी की गई कर पहचान संख्या	30	हां	हां (यदि
	की प्रति, जो आईएफएससी बैंकिंग इकाई के प्राधिकृत पदधारियों			पता उसी में
	द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित			उल्लिखित
				है)

- 4. किसी अवयस्क के नाम पर संव्यवहार की दशा में, ऐसे अवयस्क के माता-पिता/संरक्षकों में से किसी की पहचान और पते के सबूत के रूप में उपरोक्त उल्लिखित दस्तावेजों में से किसी को भी अवयस्क की पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा, और घोषणा माता-पिता/संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी।
- 5. हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब के लिए हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब के कर्ता के नाम पर कोई भी दस्तावेज आवश्यक है।
- 6. संव्यवहार एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर होने की दशा में, कुल व्यक्तियों की संख्या क्रमांक 19 में उल्लिखित की जानी चाहिए और संव्यवहार की कुल रकम क्र. सं. 17 में भरी जानी चाहिए।

स्तंभ 23 ख में प्राकिल्लित कुल रकम किसी व्यक्ति को प्रभार्य कर की अधिकतम रकम से अधिक है, व्यक्ति को पैन के लिए आवेदन करना चाहिए, मद 22 भरें और आवेदन के जमा किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत करें।

> [अधिसूचना सं. 88/2023 फा. सं. 370142/33/2023-टीपीएल] सुरबेन्दु ठाकुर, अवर सचिव

टिप्पण:- मूल नियम, अधिसूचना का. आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सा.का.नि. 702(अ), तारीख 29 सितंबर, 2023 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2023

- **G.S.R.** 728(E).— In exercise of the powers conferred by clause (vii) of sub-section (1), clause (c) sub-section (5) and sub-section (6A) of section 139A read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—
- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Income-tax (Twenty-fourth Amendment) Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, (hereinafter referred to as the principal rules) in rule 114B,—
 - (a) in the second proviso, for the words "Provided further that any person", the words "Provided further that any person, not being a company or a firm," shall be substituted;
 - (b) after second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —
 - "Provided also that a foreign company who,—
 - (i) does not have any income chargeable to tax in India; and
 - (ii) does not have a permanent account number,

and enters into any transaction referred to at Sl. No. 2 or 12 of the Table, in an IFSC banking unit, shall make a declaration in Form No. 60:";

- (c) in the Explanation, clause (1) shall be re-numbered as (1A) and before the said clause as so re-numbered, the following clause shall be inserted, namely: —
- "(1) "IFSC banking unit" means a financial institution defined under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), that is licensed or permitted by the International Financial Services Centres Authority to undertake permissible activities under the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020;";
- 3. In the principle rules, in rule 114BA, the following shall be inserted at the end, namely:—
 - "Provided that the provisions of this rule shall not apply in a case,—
 - (a) where the person, making the deposit or withdrawal of an amount otherwise than by way of cash as per clause (a) or (b), or opening a current account not being a cash credit account as per clause (c) of this rule, is a non-resident (not being a company) or a foreign company;
 - (b) the transaction is entered into with an IFSC banking unit; and
 - (c) such non-resident (not being a company) or the foreign company does not have any income chargeable to tax in India.

Explanation.— For the purposes of this rule, "IFSC banking unit" shall have the same meaning as assigned to it in clause (1) of the *Explanation* to rule 114B.";

- 4. In the principle rules, in rule 114BB, after the proviso, the following shall be inserted, namely:—
 - "Provided further that the provisions of this sub-rule shall not apply in a case,—
 - (a) where the person, making the deposit or withdrawal of an amount otherwise than by way of cash as per Sl. No. 1 or Sl. No. 2 of column (2), or opening a current account not being an cash credit account as per Sl. No. 3 of column (2) of the Table, is a non-resident (not being a company) or a foreign company;
 - (b) the transaction is entered into with an IFSC banking unit; and
 - (c) such non-resident (not being a company) or the foreign company does not have any income chargeable to tax in India.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, "IFSC banking unit" shall have the same meaning as assigned to it in clause (1) of the *Explanation* to rule 114B.";

5. In the principal rules, in the Appendix II, for Form No. 60, the following Form shall be substituted, namely:—

"FORM NO. 60

[See second proviso to rule 114B]

Form for declaration to be filed by any person (other than a company or firm) or a foreign company covered by the third proviso to rule 114B, who does not have a permanent account number and who enters into any transaction specified in rule 114B

1	First Name																	2	Dat		f Bir ant	th/ I	ncoi	pora	ition	of	
		iddle ame																	_	D	D	М	M	Y	Y	Y	Y
	Su	ırname																									
3		ther's Nam	ne (ir	ı cas	se of			Firs Nar										П									
		iddle ame																									
	Su	ırname																									
4	Fla	at/ Room N	o.							5		Floor No.															
6	Na	ame of prer	nises	S						7		Block Name/No.															
8	Ro	oad/ Street/	Lan	e						9		Area/ Locality															
10	То	own/ City								1.	1	Dist	rict						12	S	tate						
13	Pi	n code			14	1 '	Tele	phor	ne Nu	ımbe	r (v	with	STI) co	ode	e)		15	M	obil	e N	umb	er				
16	co	expayer ide ountry of resoviso)	ntific sider	catio	on N (if co	uml	ber ii ed b	n the y thi	rd																		
17	Aı	mount of tra	ansa	ctio	n (R	s.)												19				of t					
18	Da	ate of trans	actio	n	D)	D	1	M	M	٦	Y Y Y Y S S S S S S S S S S S S S S S S															
20	M	ode of tran	sacti	on:	□ C	ash,	, 🗆 C	Cheq	ue, 🗆	Car	d,	□ Dı	aft/	Bar	ıke	er's	Ch	equ	e, 🗆	On	line	e tran	sfer	, □	Othe	er	
21	U]	adhaar Nun IDAI `available)	nber	issu	ied b	y																					
22		applied for ter date of					ot ye	t gei	nerate	ed		Г)	Ι)		М		М		Y		Y	,	Y	,	Y
		knowledge																									
23	If PAN not applied, fill estimated total inco of Income-tax Act, 1961) for the financial																					ld et	c. as	per	sect	ion	64
	a Agricultural income (Rs.)																										
	b Other than agricultural income (Rs.)																										
	c i Income chargeable to tax (for a foreign company)																										
	ii Income not chargeable to tax (for a foreign company)																										

24	Details of document being produced in support of identify in Column 1 (Refer note overleaf)	Document code	Document identification number	Name and address of the authority issuing the document
25	Details of document being produced in support of address in Columns 4 to 13 (Refer note overleaf)	Document code	Document identification number	Name and address of the authority issuing the document

T 7	• 64			
Ve	rıfı	ca	Ħ	on

I,, son/ daughter/ wife** of Shri my knowledge and belief, the information given in this application and complete and particulars shown therein are truly stated.		
I further declare that I /applicant does not have a Permanent Account Nu (i) my/our/applicant's estimated total income (including income of s Act, 1961) computed in accordance with the provisions of Incabove transaction is held will be less than maximum amount not (ii) the applicant is a foreign company covered by the third proviso to tax in India.	pouse, minor child etc. as per ome-tax Act, 1961 for the fin chargeable to tax, or	ancial year in which the
3. I also declare that I am making this application for I am competent to make this application and verify it. [if applicable]	in my capacity as	(designation) and
Verified today, theday of 20		
Place:	(Sign	ature of declarant)

Notes:

- 1. Before signing the declaration, the declarant should satisfy himself that the information furnished in this form is true, correct and complete in all respects. Any person making a false statement in the declaration shall be liable to prosecution under section 277 of the Income-tax Act, 1961 and on conviction be punishable,-
 - (i) in a case where tax sought to be evaded exceeds twenty-five lakh rupees, with rigorous imprisonment which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;
 - (ii) in any other case, with rigorous imprisonment which shall not be less than three months but which may extend to two years and with fine.
- 2. The person accepting the declaration shall not accept the declaration where,-
 - (i) the amount of income of the nature referred to in item 23b exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax, unless PAN is applied for and column 22 is duly filled;
 - (ii) there is income chargeable to tax shown in item 23c(i) in case of a foreign company.
- 3. Documents which can be produced in support of identity and address (not required if applied for PAN and item 21 is filled):-

Sl.	Nature of Document	Document	Proof of	Proof of
No.		Code	Identity	Address
A. F	or Individuals and HUF			
1.	AADHAR card	01	Yes	Yes
2.	Bank/Post office passbook bearing photograph of the person	02	Yes	Yes
3.	Elector's photo identity card	03	Yes	Yes
4.	Ration/Public Distribution System card bearing photograph of	04	Yes	Yes
4.	the person			
5.	Driving License	05	Yes	Yes
6.	Passport	06	Yes	Yes
7.	Pensioner Photo card	07	Yes	Yes
8.	National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) Job card	08	Yes	Yes
9.	Caste or Domicile certificate bearing photo of the person	09	Yes	Yes

10.	Certificate of identity/address signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Municipal Councillor or a	10	Yes	Yes
	Gazetted Officer as per annexure A prescribed in Form 49A			
11.	Certificate from employer as per annexure B prescribed in Form	11	Yes	Yes
11.	49A			
12.	Kisan passbook bearing photo	12	Yes	No
13.	Arm's license	13	Yes	No
14.	Central Government Health Scheme /Ex-servicemen	14	Yes	No
14.	Contributory Health Scheme card			
1.5	Photo identity card issued by the government./ Public Sector	15	Yes	No
15.	Undertaking			
16.	Electricity bill (Not more than 3 months old)	16	No	Yes
17.	Landline Telephone bill (Not more than 3 months old)	17	No	Yes
18.	Water bill (Not more than 3 months old)	18	No	Yes
10	Consumer gas card/book or piped gas bill (Not more than 3	19	No	Yes
19.	months old)			
20.	Bank Account Statement (Not more than 3 months old)	20	No	Yes
21.	Credit Card statement (Not more than 3 months old)	21	No	Yes
22.	Depository Account Statement (Not more than 3 months old)	22	No	Yes
23.	Property registration document	23	No	Yes
24.	Allotment letter of accommodation from Government	24	No	Yes
25.	Passport of spouse bearing name of the person	25	No	Yes
26.	Property tax payment receipt (Not more than one year old)	26	No	Yes
B. F	or Association of persons (Trusts)			
	Copy of trust deed or copy of certificate of registration issued by	27	Yes	Yes
	Charity Commissioner.			
C. F	or Association of persons (other than Trusts) or Body of Individuals or Local			
autl	nority or Artificial Juridical Person)			
	Copy of Agreement or copy of certificate of registration issued by Charity	28	Yes	Yes
	commissioner or Registrar of Cooperative society or any other competent			
	authority or any other document originating from any Central or State Government Department establishing identity and address of such person.			
D E	or a foreign company			
1.	Copy of Certificate of Registration or incorporation issued in the country where	29	Yes	Yes
	the applicant is located, duly attested by authorised officials of IFSC banking	2)	103	ics
	unit			
2.	Copy of tax identification number issued in the country where the applicant is	30	Yes	Yes
	located, duly attested by authorised officials of IFSC banking unit			(if address
				mentioned
				in the same)

- 4. In case of a transaction in the name of a Minor, any of the above-mentioned documents as proof of Identity and Address of any of parents/guardians of such minor shall be deemed to be the proof of identity and address for the minor declarant, and the declaration should be signed by the parent/guardian.
- 5. For HUF any document in the name of Karta of HUF is required.
- 6. In case the transaction is in the name of more than one person the total number of persons should be mentioned in Sl. No. 19 and the total amount of transaction is to be filled in Sl. No. 17.

In case the estimated total income in column 23b exceeds the maximum amount not chargeable to tax the person should apply for PAN, fill out item 22 and furnish proof of submission of application.

[Notification No. 88/2023 F. No. 370142/33/2023-TPL] SURBENDU THAKUR, Under Secy.

Note:- The principal rules were published vide notification S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification G.S.R. 702 (E), dated the 29th September, 2023.